न्यायालय जिला कलक्टर, सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– जसमीत सिंह संधू, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 01/2023 अपील (राजस्व) जी.सी.एम.एस 2023/11

1. श्री अम्बालाल पिता श्री भीमशंकर उम्र वयस्क, जाति ब्राहम्ण निवासी दुदर, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.)।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्व. औंकार लाल ब्राहम्ण,
2. हेमलता ब्राहम्ण पुत्री स्व. औंकार लाल ब्राहम्ण,
3. श्री प्रकाश कश्यप पुत्र स्व. औंकार लाल ब्राहम्ण,
4. श्री योगेश पुत्र स्व. औंकार लाल ब्राहम्ण,
5. सुरेखा पुत्री स्व. औंकार लाल ब्राहम्ण,
6. श्री भवानी शंकर पिता श्री भीमशंकर उम्र वयस्क जाति ब्राहम्ण निवासी दुदर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.),
7. श्री जगदीशलाल पिता श्री भीमशंकर उम्र वयस्क जाति ब्राहम्ण निवासी दुदर, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.)।
8. श्री हीरालाल पिता श्री भीमशंकर, उम्र वयस्क जाति ब्राहम्ण निवासी दुदर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.),
9. श्री जयप्रकाश पिता श्री भीमशंकर उम्र वयस्क जाति ब्राहम्ण निवासी दुदर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.)।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्व आदेश दिनांक 25.07.1998 तहसीलदार सलूम्बर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * सलूम्बर (राज.) *

निर्णय

दिनांकः–12.06.2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया है कि, ग्राम दुदर तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर की आराजी संख्या 17 रकबा 0.09 हेक्टेयर किस्म आबादी राजस्व रिकॉर्ड में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

सम्पति के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। उक्त आराजी संख्या 17 रकबा 0.09 हेक्टेयर किस्म आबादी पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य भौतिक रूप से मौके पर बराबर हिस्से बंटवारा होकर अपने–अपने बंटवारे के रूप से मौके पर बराबर हिस्से बंटवारा होकर अपने–अपने बंटवारे के अनुसार हिस्से आयी भूमि पर काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25/07/1998 से आराजी संख्या 17 का विधिक विभाजन निम्न प्रकार है:–

क्र.सं	आराजी सं.	रकबा	खातेदार का नाम	पक्षकार
1	17/1	0.01	जय प्रकाश	रेस्पोडेण्ट सं 5
2	17/2	0.02	भवानी शंकर	रेस्पोडेण्ट सं. 4
3	17/3	0.02	हिरालाल	रेस्पोडेण्ट सं.3
4	17/4	0.02	जगदीश	रेस्पोडेण्ट सं. 2
5	17/5	0.01	औकारलाल	रेस्पोडेण्ट सं. 1
6	17/6	0.01	अम्बालाल	अपीलाण्ट

यह कि अपील की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी संख्या 17 का रकबा 0.09 हेक्टेयर जो कि विधिक विभाजन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया जो कि मिट्स एण्ड बाउण्ट्स के आधार पर विधिवत विभाजन नही होकर समान रूप से पृथक–पृथक विधिक विभाजन कर एक भारी विधिक चुक फरमाई है। जिससे मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति के विपरीत जाकर राजस्व रिकॉर्ड में असमान विभाजन हो गया है। जिससे अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य विधिक विभाजन होने के बावजूद भी विक्रय इत्यादि करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजी संख्या 17 रकबा 0.09 हेक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का वास्तविक भौतिक कब्जा रकबा 0.015 हैक्टेयर मौके पर रहा है। व इसी अनुरूप अपीलाण्ट उक्त वादग्रस्त सम्पति का विधिक बटंवारा चाहता है इसी उद्देश्य से दिनांक 03.01.2022 को उक्त भूमि का भौतिक कब्जे के अनुसार प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में रकबा 0.0150 हेक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो इसके लिए अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के द्वारा एक सहमति पत्र निष्पादित किया

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

गया। इसलिए अभी अधिनरथ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य बराबर हिस्से का बटवाडा किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर मौके पर राजस्व रिकॉर्ड में आराजी संख्या 17 का समान रूप से रकबा 0.0150 हेक्टेयर को अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 तक के मध्य पुनः विधिक बटवाडा कराने का आदेश फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगणो की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील स्वीकार फरमाई जाकर पुनः बटवांडा करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जाए। अधिनस्थ न्यायालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट व पत्रावली तलब हेतु पत्र लिखा गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलूम्बर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं प्रमाणित प्रत्रावली पेश कर निवेदन किया कि, तहसील कार्यालय आदेश क्रमांक/राजस्व/1998/154 दिनांक 25.07.1998 के अनुसार हल्का पटवारी डाल द्वारा उक्त बंटवाडा आदेश का नामान्तरण संख्या 82 दिनांक 28.08.1998 को फैसल किया गया है उक्त बंटवाडा 1998 में राजस्व अभियान में हुआ है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्ववान अधिवक्ताओ के तर्को पर मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संलग्न तहसीलदार सलूम्बर की बंटवाड़ा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारानो के मध्य बँटवाड़ा दिनांक 25.07.1998 को राजस्व अभियान में हुआ। परन्तु पक्षकारानो के मध्य भुमि का बँटवाड़ा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर होना प्रथम दृष्ट्या प्रतित नहीं हो रहा हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलूम्बर का आदेश दिनांक 25.07.1998 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ में रिमाण्ड किया जाता है

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर (राज.)

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

कि, पक्षकारो को पुनः सुना जाकर नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विधि में प्रदत्त प्रावधानानुसार बंटवाडा कर पुनः आदेश जारी करें।

निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार सलूम्बर को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
सलूम्बर